न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–142/2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

जमशेद अली पुत्र मौहम्मद यासीन निवासी–ग्राम खेलपुर, नसरूल्लापुर, परगना एवं तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	:	श्री पी0के0 गर्ग।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी	:	श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व

निर्णय

यह निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–13/2015–16 सरकार बनाम जमशेद आदि अन्तर्गत धारा–157क/166/167 जं0वि0अधि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 25–04–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

उत्तरदाता/वादी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार की ओर से प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11–11–2013 अन्तर्गत धारा–157क/166/167 जं0वि0अधि0 कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नं0–657 क्षेत्रफल 0.033 हे0 स्थित मौजा खेलपुर नसरूल्लापुर ग्राम सभा के प्रबंधन की भूमि थी जो मूलवाद में प्रतिवादी संख्या–2 व 3 के पिता तुंगल पुत्र जहारू को असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में कृषि कार्य हेतु आवंटन की गई थी तथा वर्तमान में झबल सिंह व नाथीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमि दर्ज है, कि तुंगल पुत्र जहारू अनुसूचित जाति का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु के उपरान्त प्रश्नगत भूमि उसके पुत्रों झबल सिंह व नाथीराम को विरासतन प्राप्त हुई, कि झबल सिंह व नाथीराम भी अनुसूचित जाति से है, कि वादग्रस्त भूमि को तुंगल सिंह पुत्र जहारू द्वारा तैय्यब अली पुत्र रशीद अहमद को अवैधानिक रूप से दिनांक 05–12–1990 को नोटरी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर कब्जा परिवर्तित करा दिया गया तत्पश्चात नाथीराम पुत्र तुंगल द्वारा वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में विलेख संख्या–692 दिनांक 16–01–2012 से विक्रय कर दिया गया जबकि विक्रय से पूर्व कलेक्टर, हरिद्वार से धारा–157क जं0वि0अधि0 के

अन्तर्गत भूमि विक्रय किये जाने की कोई अनुमति प्राप्त नही की गई थी, कि विक्रय पत्र दिनांक 16–01–2012 से धारा–157क जं0वि0अधि0 का उल्लंघन हुआ है क्योंकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा विक्रय विलेख जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–166 के अन्तर्गत शून्य है तथा धारा–167 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि विक्रय की तिथि से सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होने योग्य है अतः तद्नुसार इसे सभी भारों से मुक्त कर राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाए। इस प्रार्थना पत्र के विरूद्ध जमशेद पुत्र यासीन एवं झबल सिंह व नाथी पुत्रगण तुंगल ने दिनांक 30–12–2013 को अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व ने वाद की विधिवत सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 25–04–2016 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय में धारा–157क जं0वि0अधि0 का उल्लघंन होने के कारण धारा–166/167 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत बिना भार के राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किये। इसी आदेश दिनांक 25–04–2016 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यद्यपि धारा–143 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत घोषणा नही हुई है तथापि यह निर्विवादित रूप से आबादी है। यंहा तक कि खसरा में भी इसे आबादी दिखाया जा रहा है तद्नुसार इस भूमि के सम्बन्ध में धारा–166/167 जं0वि0अधि0 की कार्यवाही संधार्य नही है। खसरा में वादग्रस्त भूमि को आबादी दर्शाये जाने के दृष्टिगत धारा–143 जं0वि0अधि0 की घोषणा आवश्यक नही है। वादग्रस्त भूमि के विक्रय दिनांक 16–01–2012 को लेकर एक स्टाम्प शुल्क का प्रकरण पूर्व में चला जो कि अंत में समाप्त कर दिया गया।

दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिधर द्वारा बिना अनुमति के सामान्य जाति के व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि विक्रय की गई है एवं इस भूमि के सम्बन्ध में घारा–143 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत घोषणा नही हुई है।

यह निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि, भूमि प्रबन्धन समिति द्वारा तुंगल पुत्र जहारू को असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में आंवटित की गई थी। यह भी निर्विवादित है कि उसके द्वारा दिनांक 05–12–1990 को यह भूमि अवैध रूप से तैय्यब अली पुत्र रशीद अहमद को नोटरी विक्रय पत्र द्वारा विक्रीत की गई एवं उक्त विक्रय के आधार पर स्थल पर तैय्यब पुत्र रशीद अहमद का अध्यासन है यद्यपि खतौनी में पूर्व में तुंगल व बाद में उसके पुत्रगण नाथीराम व झबल सिंह के नामों का अंकन होता रहा है। धारा–131ख जं0वि0अधि0 में वर्ष 1995 में हुए संशोधन के आधार पर तुंगल को आंवटित यह असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि संक्रमणीय भूमिधरी में परिवर्तित कर दी गई जबकि राजस्व अधिकारियों को उक्त विक्रय का

तत्समय ही संज्ञान लेकर विधिक कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि उनके द्वारा तब नही किया गया। उक्त विक्रय के आधार पर असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमि में परिवर्तित भी नही करना चाहिए था।

दिनांक 16–01–2012 को पुनः तुंगल के दो पुत्रों में से नाथीराम द्वारा अपने अंश की भूमि जमशेद अली पुत्र मौहम्मद यासीन को विक्रय कर दी गई जिसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क प्रकरण चलाये जाने पर अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा बिना अनुमति के गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को वादग्रस्त भूमि विक्रय किये जाने के प्रकरण का संज्ञान लिया गया जिसमे अन्ततः विद्वान अपर कलेक्टर ने आक्षेपित आदेश पारित किया।

संगत हाल खसरा में वादग्रस्त भूमि को आबादी दर्शाया गया है परन्तु धारा–143 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत इसे आबादी अथवा अकृषक घोषित किये जाने की कोई घोषणा नही हुई है तद्नुसार खतौनी के अनुसार यह भूमि कृषि भूमि ही है। दूसरी ओर मूल आंवटी तुंगल द्वारा वर्ष 1990 में ही जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के संगत प्राविधानों का उल्लंघन कर वादग्रस्त भूमि तैय्यब अली को विक्रय कर दी गई। वर्ष 1990 में निश्चित रूप से यह भूमि कृषि भूमि थी क्योंकि वर्ष 1995 से पूर्व यह भूमि अकृषक होती तो वर्ष 1995 के संशोधन जिसके अधीन मूल आंवटी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हुए में स्थिति भिन्न होती क्योंकि भूमिधरी अधिकार कृषि भूमि पर ही मिल पाता है। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत आख्याओं में स्थल पर तैय्यब अली का टीन शैड विद्यमान है। टीन शैड एक अस्थाई संरचना है जिसके आधार पर ही हाल खसरा में आबादी का अंकन होना विदित होता है। विधिक स्थिति स्पष्ट है कि खतौनी की प्रविष्टि के अनुसार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति न वर्ष 1990 में न वर्ष 2012 में बिना कलेक्टर की अनुमति के उसके द्वारा धारित भूमि का विक्रय कर सकता था। पूर्व में तुंगल द्वारा एवं बाद में नाथीराम द्वारा किये गये अवैध विक्रय से धारा–157क जं0वि0अधि0 का उल्लंघन हुआ है एवं इस उल्लंघन के परिणामस्वरूप धारा–166/167 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत विक्रय की तिथि से ही वादग्रस्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होती है। विद्वान अपर कलेक्टर ने वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करके न तो कोई अवैधानिकता की है न ही क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण अथवा अप्रयोग किया है। जंहा तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स, साहूपुरी वाराणसी व अन्य 2003 (94) आर0डी0 577 में दी गई मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रश्न है। मा0 उच्च न्यायालय ने यह न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश जोत भूमि सीमारोपण अधिनियम 1960 के प्रयोजनार्थ दी है अतः यह न्याय व्यवस्था वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नही है। इसी प्रकार निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चन्द्रवीर सिंह बनाम सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट बागपत मेरठ व अन्य 2007 (102) आर0डी0 811 में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित न्याय व्यवस्था का जंहा तक प्रश्न है यह न्याय व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश जोत भूमि सीमारोपण अधिनियम 1960 के प्रयोजनार्थ ही दी गई है जो वर्तमान

प्रकरण के निस्तारण में सहायक एवं प्रासंगिक नही है। तद्नुसार निगरानी अस्वीकार होने योग्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **13–04–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)